

देवघर समाहरणालय
(जिला भू-अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

03/15-16/2017
संख्या / भू अ0

दिनांक : 09.9.15

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :- सल्लुरायडीह, थाना :- कुण्डा, थाना सं०-614, अंचल:- देवघर, जिला :- देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :-सल्लुरायडीह, थाना :-कुण्डा, थाना सं० :- 614, अंचल:- देवघर, जिला :- देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 09.70 एकड़ यानि मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. स.	खा ता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	39	रैयती	धानी-1	0.10	रामप्रसाद यादव व सोना यादव, पिता- स्व. भोजी यादव	मौजा-भितिया थाना संख्या-608 एवं मौजा-असहन थाना संख्या-606,	अंश खेसरा संख्या-154, 48, 50, 32, 27, 104,	मौजा-असहना, थाना संख्या 606	मौजा भितिया थाना संख्या-608 एवं मौजा-गौरी पुर, थाना संख्या-617
2	2	2	रैयती	धानी-1	0.05					
3	2	6	रैयती	धानी-1	0.21					
4	2	10	रैयती	धानी-1	0.02					
5	2	14	रैयती	धानी-1	0.93					
6	2	15	रैयती	धानी-1	1.11					
7	2	104	रैयती	बाड़ी-1	0.40					
8	2	111	रैयती	बाड़ी-1	0.01					
9	2	105	रैयती	बाड़ी-1	0.14					
10	3	43	रैयती	धानी-1	0.03					
11	3	1	रैयती	धानी-1	0.04	परशुराम मंडल व नित्यानन्द मंडल, पिता- स्व. गणेश मंडल व रामचन्द्र मंडल, पिता- स्व. तुलसी मंडल व ठाकुर मंडल पिता राधे मंडल				
12	3	7	रैयती	धानी-1	0.06					
13	3	30	रैयती	बाड़ी-1	0.16					
14	3	17	रैयती	बाड़ी-2	0.40					
15	3	8	रैयती	धानी-1	0.04	बैजनाथ मंडल, पिता- स्व. जगदीश मंडल व विनोद मंडल व विशु मंडल व किशोर मंडल, पिता- स्व. खिधर मंडल व बुलु मंडल व तुरफिन मंडल, पिता- स्व. भोला मंडल				
16	3	31	रैयती	बाड़ी-1	0.10					
17	3	18	रैयती	बाड़ी-1	0.14					
18	3	42	रैयती	धानी-1	0.03	अमिन यादव, पिता- स्व. पारो महतो व उमा महतो, पे० रामचरण महतो व विनोद यादव व घनश्याम यादव व रुदो यादव, माता कारी महताईन पति स्व. मेघु महतो				
19	4	38	रैयती	धानी-1	0.18					
20	4	40	रैयती	धानी-1	0.07					
21	4	3	रैयती	धानी-1	0.06					
22	4	22	रैयती	बाड़ी-1	0.14					
23	4	21	रैयती	बाड़ी-1	0.09					
24	4	106	रैयती	बाड़ी-1	0.05					
25	5	45	रैयती	धानी-1	0.06					
26	5	50	रैयती	धानी-1	0.46	संतु मंडल व भगवान मंडल व बहादुर मंडल, पे० स्व. बुधु मंडल व प्यारी मंडल, पे० स्व. गुरुसहाय मंडल व रामकृष्ण मंडल व सिकेन्दर मंडल व अरुण मंडल, पे० मुनी मंडल व नरेश मंडल व दिनेश मंडल व राजकिशोर मंडल, पिता- स्व. गिरिजा मंडल व सुकदेव मंडल, पिता स्व. जागेश्वर मंडल।				
27	5	48	रैयती	बाड़ी-1	1.10					
28	5	35	रैयती	धानी-1	0.03					
29	5	12	रैयती	धानी-1	0.90					
30	5	4	रैयती	धानी-1	0.07					
31	5	41	रैयती	धानी-1	0.25					
32	5	11	रैयती	धानी-1	0.34					

33	7	47	रैयती	धानी-1	0.07	कोलहा मंडल, पे0 तेवारी मंडल वो रूकमणि देवी उर्फ अनिया देवी, पति- स्व. मोति मंडल			
34	8	154	रैयती	धानी-1	0.09	गुणो महतो, पे0 स्व. मुनेश्वर महतो वो सीताराम महतो वो कामदेव महतो, पे0 स्व. पंचा महतो वो तारो देवी वो चुनिया देवी वो मंगर यादव, पे0 स्व. धानो महतो वो बिमली देवी, पति- स्व. कालेश्वर महतो वो जहरू महतो, पे0 स्व. एतवारी महतो वो बुनो महतो, पे0 स्व. गुणो महतो			
35	8	5	रैयती	धानी-1	0.10				
36	9	19	रैयती	बाड़ी-1	0.38				
37	15	44	रैयती	धानी-1	0.08				
38	15	36	रैयती	धानी-1	0.05	अकलु मंडल, पे0 स्व. डहरू मंडल वो कंचन मंडल, पे0 शीतलाल मंडल			
39	15	28	रैयती	बाड़ी-1	0.06				
40	15	29	रैयती	धानी-1	0.09	सुकदेव मंडल वो सहदेव मंडल वो महादेव मंडल वो लक्ष्मण मंडल, पे0 स्व. भगलु मंडल वा नेमानी मंडल वो वो नन्द किशोर मंडल वो पे0 स्व. अमृत मंडल वो शंकर मंडल, पे0 स्व. पथल मंडल।			
41	15	49	रैयती	बाड़ी-1	0.09				
42	15	16	रैयती	धानी-1	0.53	अकलु मंडल, पिता-डहरू मंडल वो कंचन मंडल, पिता- स्व. शीतलाल मंडल वो सुकदेव मंडल वो सहदेव मंडल वो महादेव मंडल वो लक्ष्मण मंडल, पे0 स्व. भगलु मंडल वा नेमानी मंडल वो नन्दकिशोर मंडल, पे0 स्व. अमृत मंडल वो शंकर मंडल, पे0 स्व. पथल मंडल।			
43	18	37	रैयती	धानी-1	0.07	सरस्वती देवी, पति लखु महतो वो रूकमणि देवी, पति- स्व. भोला यादव वो नुनलाल यादव वो नवी यादव वो शिवनारायण यादव वो छतिस यादव वो पंचु यादव पे0 स्व. जगन महतो।			
44	18	9	रैयती	धानी-1	0.04				
45	18	20	रैयती	बाड़ी-1	0.28				
कुल रकवा					09.70				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

अपर समाहर्ता,
देवघर।

ज्ञापांक ०३/१५-१६-३०७ भू अ०, देवघर, दिनांक ०९.१.१५

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेवसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला सूचना पदाधिकारी

अपर समाहर्ता,
देवघर।